न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2019 प्रार्थना पत्र अवमानना

1. अहसान उलहक हनफी पुत्र हाफिज इला बकस जाति मुसलमान निवासी हाई स्कूल रोड बांदीकुई।

प्रार्थी

बनाम

1. नगरपालिका बांदीकुई जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अवमानना

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री अनिल कुमार भट्ट अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–   दिनांक: 04.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि बांदीकुई में स्थित आवासीय अचल सम्पत्ति का पट्टा दिनांक 19.09.1960 को नगरपालिका बांदीकुई के द्वारा श्रीमति अनबरी बेगम पत्नि श्री हाफिज इलाई बक्स जाति मुसलमान निवासी बांदीकुई के हक में जारी किया गया था। उक्त अनबरी बेगम की मृत्यू हो जाने पर पारिवारिक समझौते से प्रार्थी के हक में 278.8 वर्ग गज के उक्त प्लॉट का नामान्तरकरण खोलने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बाद जांच दस्तावेज एवं अन्य जॉच के दिनांक 4.1.2018 को नगरपालिका मण्डल बांदीकुई ने प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के बाद प्रार्थी को बिना सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना दिनांक 19.02.2018 को नगरपालिका मण्डल बांदीकुई ने समझौता पत्र पंजीकृत नहीं होने के अभाव में नामान्तरकरण पत्र सं. 56 दिनांक 4.1.2018 निरस्त कर नामान्तरकरण की मूल प्रति तीन दिवस में कार्यालय में समर्पण करने का आदेश दिया। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी याचिका उनवानी अहसान उलहक हनफी बनाम नगरपालिका बांदीकुई प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 7.6.2018 को नगरपालिका बांदीकुई द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.02.2018 निरस्त कर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई को रिमाण्ड कर निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देते हुए पारिवारिक समझौता दिनांक 15.12.2016 व इसमे किये गये संशोधन दिनांक 5.3.2018 का अवलोकन कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया। परन्तु अप्रार्थी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

निर्णय दिनांक 7.6.2018 की पालना में कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 7.6.2018 की पालना में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण निर्णय दिनांक 7.6.2018 की पालना करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र अवमानना इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलवी अप्रार्थी की गई एवं नगरपालिका मण्डल बांदीकुई से प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि नगरपालिका बांदीकुई ने पारिवारिक समझौते से प्रार्थी के हक में बाद जॉच दस्तावेजात एवं अन्य जॉच के दिनांक 4.1.2018 को नामान्तरकरण सं 56 दिनांक 4.1.2018 स्वीकार करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के बाद बिना प्रार्थी को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना दिनांक 19.2.2018 को समझौता पत्र पंजीकृत नहीं होने के अभाव में उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमा दिया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 7.6.2018 को नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.02.2018 निरस्त कर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई को रिमाण्ड कर निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देते हुए पारिवारिक समझौता दिनांक 15.12.2016 व इसमे किये गये संशोधन दिनांक 5.3.2018 का अवलोकन कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया। प्रार्थी द्वारा अनेको बार लिखित व मौखिक निवेदन करने के उपरान्त भी उक्त आदेश दिनांक 7.6.2018 की कोई पालना अप्रार्थी द्वारा नही की जा रही है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अवमानना स्वीकार फरमाकर आदेश दिनांक 7.6.2018 की पालना करवाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नगरपालिका मण्डल के भूमि शाखा लिपिक द्वारा दिनांक 4.7.2018 को अप्रार्थी अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 11.2.2019 को पालिका कार्यालय बुलाया गया था। जिस पर प्रार्थी ने अगली तारीख देने की मांग की। प्रार्थी को पुनः पक्ष रखने के लिये दस्तावेज सहित दिनांक 20.2.2019 को बुलाया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.2.2019 को सुनवाई के दौरान पारिवारिक समझौते पत्र की छायाप्रति एवं वसीयत पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई एवं कानूनी नजीरे पेश करने के लिये समय चाहने पर दिनांक 11.3.2019 तारीख पेशी निर्धारित की गई। दिनांक 11.3.2019 को प्रकरण में निर्णय पारित करने के लिये दिनांक 26.3.2019 तारीख पेशी दी गई। प्रकरण में दिनांक 26.3.2019 को अप्रार्थी अधिशाषी अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण पालिका की साधारण सभा में रखे जाने का निर्णय लिया गया। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.6.2018 की पालना में नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 02/2019 प्रार्थना पत्र अवमानना

हमने प्रार्थना पत्र अवमानना पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा दिनांक 26.03.2019 को आदेश पारित कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 07.06.2018 की पालना आगामी साधारण सभा में किया जाना अंकित किया है। जब प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन हो तो इस अवमानना प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई को मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official